# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—18/2019/225 (2019/00018)**

**1.** रामनाथ पुत्र हाथी,
**2.** बन्ना पुत्र हाथी,
समस्त जाति रेबारी, निवासी ग्राम जाजोता, हाल नि0 बरूण, तहसील परबतसर, जिला नागौर ।

**अपीलांटस**

**बनाम**

1. श्रीमती गीता देवी पतिन जगदीश,
2. जगदीश पुत्र श्रीकिशन,
3. श्यामलाल पुत्र श्रीकिशन (मृतक) जरिये वारिसानः—
   3/1— सेढूराम पुत्र श्यामलाल,
   3/2— पिंकी पुत्री श्यामलाल,
4. राजूराम पुत्र श्रीकिशन,
5. पांचू पुत्र बक्सा,
   समस्त जाति दरोगा, निवासी ग्राम जाजोता, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर
6. रामचन्द्र पुत्र भागूराम, जाति रेगर, नि0 ग्राम जाजोता, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
7. बिरदी देवी बेवा श्योजी,
8. रामलाल पुत्र श्योजी,
9. रामेश्वर पुत्र श्योजी,
10. रामकरण पुत्र श्योजी,
11. हेमा पुत्र नारायण,
    जाति जाट, निवासी ग्राम जाजोता, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
12. घीसी बेवा चौथू,
13. मदन पुत्र चौथू,
14. रामा पुत्र चौथू,
15. जंवरी पुत्र चौथू,
    समस्त जाति हरिजन (भंगी) नि0 ग्राम जाजोता, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

**रेस्पोडेंटस**

**अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ दिनांक 22.5.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 10/2015.**

**उपस्थितः—**

1. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांटस ।
2. श्री जसराज जयपाल, वकील रेस्पो0 संख्या 1, 3/1, 3/2, 4.
3. श्री रामसुख चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 12 से 15.
4. रेस्पो0 संख्या 2, 5 से 10 अनुपस्थित ।
5. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 16.

# निर्णय

**दिनांकः—28.5.2019**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 22.5. 2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 11 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 का वर्तमान अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 12 लगायत 16 के विरूद्ध अधी0न्याया0 के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जाजोता, तहसील रूपनगढ़ स्थित प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 की आराजी खसरा नंबर 632 रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा एवं प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 6 व 7 की आराज ीखसरा नंबर 631 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा तथा प्रार्थी संख्या 8 लगायत 11 की आराजी खसरा संख्या 623 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 624 रकबा 44 बीघा 10 बिस्वा आराजियात वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 11 की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात है तथा वर्तमान अपीलांट/शेष विपक्षी की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 619 व खसरा नंबर 633/1 में से होकर आगे 633/1 व 620/2 व 620/3 भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है । रेस्पो0 संख्या 21 लगायत 11 खातेदारी की आराजी एवं अपीलांट की आराजी एवं वर्तमान रेस्पो0 संख्या 12 लगायत 16 की आराजी से रास्ता तक वर्तमान अपीलांट/विपक्षी की आराजी के उत्तरी मेड़ पर पूर्व से पश्चिम दिशा मे आगे रास्ता दर्ज है। वर्तमान अपीलांटस रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 11 के खसरा नंबरों की एवं अपीलांट अन्य रेस्पो0 के खसरा नंबर की सींव एक ही है । रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 11 अपने खेत के उपयोग उपभोग आदि वर्तमान अपीलांट के खेत से लाता ले जाता है किन्तु यह रास्ता नक्शा ट्रेस में कटा नहीं होने के कारण वर्तमान अपीलांट इस रास्ते से रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 11 को आने व उक्त साधन आदि लाने में बाधा उत्पन करते है एवं उक्त रास्ता अवरूद्ध कर दिया है । अतः 30 फुट चौड़ा रास्ता रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 11 के खेतों पर जाने का डी0एल0सी0दर पर दिया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 22.5.2017 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में खसरा नंबर 620/2 में से 5 बिस्वा व खसरा संख्या 6290/3 में से 5 बिस्वा रकबा रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ कैम्प कोर्ट जाजोता द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट के न्यायिक हितों को दरकिनार करते हुए संपूर्ण दस्तावेज का बिना अवलोकन किये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अधी0न्याया0 ने कैम्प कोर्ट जाजोता में अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा आदेश पारित किया है जो धारा 251—ए के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 खसरा संख्या 619 व 633/1 के खातेदार की आराजी में से होकर तथा आगे रास्ता खसरा संख्या 633/1 के खातेदार की आराजी में से होकर अपनी आराजी पर आजा जाता रहा है किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त आराजी में से रास्ता नहीं देकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के

समक्ष वर्तमान रेस्पो0 संख्य 1 लगायत 11 को खसरा संख्या 62/2 व 620/3 बाबत प्रकरण प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है क्योंकि स्वंय के द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया कि स्वंय अपीलांट की आराजी पर आने जाने का रास्ता नहीं है, खसरा संख्या 633/1 जो अपने ही परिवार एवं अन्य सहखातेदार की आराजी में से होकर पूर्वजों के समय से आराजी में कदीम समय से आते जाते रहे है । अपीलांट को उसकी आराजी से वंचित करने के लिये कार्यवाही अमल में लाई गई है । आगे कथन किया कि अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 620/2 व 620/3 से रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 11 का कोई सरोकार नही है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 की मंशा अनुसार गिरदावर या तहसीलदार की मौके की वास्तविक रिपोर्ट के अभाव में एवं जांच करने के प्रावधान नियम 69 की बिना पालना किये ही एक खातेदार को अपनी आराजी से वंचित कर दिया जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 22.5. 2017 की आड़ मे रेस्पो0 वादग्रस्त आराजी पर दिनांक 13.1.2019 को आराजी में दखलदांजी करने लगे और कहने लगे कि न्यायालय द्वारा हमारे पक्ष में निर्णय कर दिया है तब अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को हुई । तत्पश्चात् दिनांक 14.1.2019 को अभिभाषक से इस बाबत् संपर्क किया तब अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को हुइै। इस पर अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जावे । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1, 3/1, 3/2, 4. ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् है। रेस्पो0 संख्या 1 से 5 के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 632 रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा, रेस्पे0 संख्या 6 व 7 के कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 631 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा, रेस्पो0 संख्या 8 से 11 के कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 623 रकबा 6 बिस्वा, 624 रकबा 44 बीघा 10 बिस्वा में आने जाने का रास्ता खसरा संख्या 619 व खसरा नंबर 633/1 में से निकलकर आगे खसरा नंबर 620/2 व खसरा नंबर 620/3 में से होकर निकलता है । उक्त रास्ते से रेस्पो0 संख्या 1 से 11 अपने खेतों में आवागमन करते है तथा इसी रास्ते से वर्षो से आने जाने का रास्ता है इसके अलावा रेस्पो0 के खेतों में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है । बहस में आगे कथन किया कि खसरा नंबर 619 व 633 की सींव से होकर उक्त भूमि के पश्चिम दिशा में जाजोता से रूपनगढ़ जाने हेतु लिंक रिकार्डेड रास्ता है जो आवागमन हेतु सभी के द्वारा उपयोग किया जाता है किन्तु रेस्पो0 के खेतों में उक्त रास्ते से आगे जाने हेतु राजस्व नक्शे में कोई भी रिकार्डेड रास्ता नहीं है इसलिये रेस्पो0 को अपने खेतों में आवागमन व कृषि कार्य करने में तथा अपने रास्ते के उपयोग उपभोग के सुखाधिकार में अपीलांट द्वारा बाधाकारित की जाती है इसलिये राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते की तरमीम किया जाना अतिआवश्यक है । धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहित रेस्पो0 को अपनी खातेदारी जमीनों में आवागमन हेतु रास्ता लेने का विधिक अधिकार है तथा उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने का विधिक अधिकार है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों तथा धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के

प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते के आदेश पारित किये है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । आराजी खसरा नंबर 620/2 अपीलांट रामनाथ पुत्र हाथी जाति रेबारी के नाम तथा खसरा नंबर 620/3 बन्ना पुत्र हाथी, जाति रेबारी के नाम दर्ज है । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 11 द्वारा धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर आदेश दिनांक 22.5.2017 द्वारा अपीलांटस के खसरा संख्या 620/2 की उत्तरी सींव के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम 30 फुट चौड़ा रास्ता 5 बिस्वा 16 बिस्वांसी एवं खसरा संख्या 620/3 की उत्तरी दिशा में सींव के सहारे–सहारे पूर्व से पश्चिम 30 फुट चौड़ा रास्ता 5 बिस्वा भूमि रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है । इस संबंध में अपीलांटस का मुख्य कथन रहा है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है तथा प्रकरण को कैम्प कोर्ट जाजोता में रखकर एकतरफा में निर्णय पारित किया गया है । अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 22.5.2017 को पत्रावली कैम्प कोर्ट जाजोता में रखे जाने के आदेश दिये गये है किन्तु पत्रावली को कैम्प कोर्ट में रखे जाने बाबत् अपीलांटस को नोटिस जारी किये जाने के संबधं में पत्रावली पर उल्लेख नहीं है । इसी प्रकार पत्रावली में एक नोटिस रामलाल, रामेश्वरलाल, रामकरण पि0 श्योजी जाति बलाई का संलग्न है जो संयुक्त रूप से जारी किया गया है । उक्त नोटिस की पुस्त पर तामील कुनिन्दा ने यह रिपोर्ट की है कि जंवरी को सूचित किया हस्ताक्षर से मना किया । जब उक्त नोटिस रामलाल, रामेश्वरलाल, रामकरण पि0 श्योजी जाति बलाई को जारी किया गया था तो जंवरी को क्यों सूचित किया गया तथा यह जंवरी कौन है । इसके अतिरिक्त तामील कुनिन्दा ने नोटिस की पुस्त पर दो गवाहों के नाम, पते उनकी वल्दियत अंकित नहीं की है तथा न ही उनके हस्ताक्षर करवाये है जिससे उक्त तामील फर्जी प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर अपीलांटस को कैम्प कोर्ट की सूचना के संबंध में नोटिस अथवा सूचना दिये जाने के संबधं में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत एवं धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 की मंशा के विपरीत होने से विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त योग्य प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ का आदेश दिनांक 22.5.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे रास्ते के संबंध में तहसीलदार, रूपनगढ़ द्वारा उभयपक्षों की उपस्थिति में तैयार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर तथा

उभयपक्षों को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत् निर्णय यथासंभव तीन माह की अवधि में पारित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

10. निर्णय आज दिनांक 28.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**